संख्याः 2585/79–6–/07

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–(6) लखनऊ दिनांकः 25 सितम्बर, 2007

विषयः प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में कक्षा–6 से 8 में अध्ययनरत छात्रों के लिये लागू की जाने वाली मध्यान्ह भोजन योजना के निमित्त पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में, जहॉ 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.13 से कम तथा साक्षरता जेण्डर गैप 21.59 प्रतिशत से ज्यादा है, कक्षा–6 से 8 में अध्ययनरत छात्रों के लिये शीघ्र ही भारत सरकार के सहयोग से मध्यान्ह भोजन योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित होने वाले शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों की जनपदवार सूची सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस योजना को सफलतापूर्वक प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक है कि योजना लागू करने के पूर्व इस संदर्भ में सुव्यवस्थित ढंग से पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। योजना की पूर्व तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी से निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में ऐसे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित कर लिया जाए जो कि प्राथमिक विद्यालयों के कैम्पस में नहीं हैं। क्योंकि ऐसे विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना प्रारम्भ करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पृथक से सुनिश्चित करनी होंगी।
2. प्राथमिक विद्यालयों के कैम्पस से पृथक स्थित ऐसे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एस0जी0आर0वाई0 एवं ग्राम्य विकास विभाग की इस तरह की अन्य योजना से डबटेलिंग के माध्यम से किचन शेड के निर्माण की संभावनाओं को चिन्हित कर लिया जाए तथा इस संबंध में इस आशय की एक रिपोर्ट मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को आगामी 15 दिवस में उपलब्ध करा दी जाए कि डबटेलिंग के माध्यम से ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जनपद स्तर से किचेन शेड निर्माण की व्यवस्था हो सकती है।
3. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में स्थित राजकीय/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों तथा मदरसों की सूची तैयार करा ली जाए जहॉ कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार सूची तैयार करते समय समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त विद्यालयों की भी पृथक से सूची तैयार करा ली जाएं
4. राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे राजकीय हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों तथा मदरसों (जहॉ कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है) की सूची तैयार करते समय विद्यालयवार/ब्लाकवार छात्र संख्या का विवरण भी सकलित

करा लिया जाए ताकि योजना लागू करते समय कन्वर्जन कास्ट की धनराशि भेजने की कार्यवाही में जनपद स्तर पर अनावश्यक विलम्ब न हो। इस प्रकार विद्यालयवार/ब्लाकवार छात्र संख्या के विवरण संबंधी सूची तैयार करते समय समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त विद्यालयों की छात्र संख्या भी सम्मिलित की जाएं

5. जिन जनपदों के वन क्षेत्रों में उपरोक्त मानक के अनुसार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े गॉव स्थित हैं वहॉ पर भी यह योजना प्रारम्भिक चरण में लागू किया जाना प्रस्तावित है। अतएव ऐसे गॉवों में भी इस योजना को लागू किए जाने के परिप्रेक्ष्य में पूर्व तैयारी किया जाना अपेक्षित है।
6. इस योजना से आच्छादित होने वाले विद्यालयों में खाना पकाने हेतु रसोइये की व्यवस्था हेतु चिन्हांकन की कार्यवाही प्राथमिक विद्यालयों की भॉति सुनिश्चित करा ली जाए। इसके साथ ही इन विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु बर्तन तथा गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर/धूम्र रहित चूल्हा की आवश्यकता का विद्यालयवार आंकलन करा लिया जाए तथा योजना प्रारम्भ करते समय इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की भॉति पूर्व तैयारी करा ली जाए।
7. इस योजना से आच्छादित होने वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से यदि कोई विद्यालय ऐसी ग्राम पंचायत में स्थित है, जहॉ पूर्व से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो ऐसे ग्राम पंचायत से संबंधित ग्राम प्रधान को मध्यान्ह भोजन योजना संचालित करने के संबंध में अपेक्षित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी जाए।
8. इस योजना के अन्तर्गत कन्वर्जन कास्ट की धनराशि ग्राम निधि–ट में भेजी जानी होगी। इसलिए आपके जनपद में यदि किन्ही ग्राम पंचायतों में अभी ग्राम निधि–ट के खाते खुलना शेष रह गये हों तो इन्हें तत्काल खुलवा लिया जाए।

मेरे द्वारा इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को भी पत्र भेजकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में अपने मण्डल के जिलाधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने स्तर से दिशा–निर्देश प्रदान करने तथा इस कार्यक्रम को लागू करने के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा की जा रही पूर्व तैयारी की मासिक बैठक में समीक्षा करने की कृपा करें, ताकि इस योजना को प्रारम्भ से ही सुव्यवस्थित ढंग से लागू किया जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह0

(रोहित नन्दन)

प्रमुख सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक वही।

प्रतिलिपि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)

संयुक्त सचिव